

न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर
समक्ष
एम० के० सिंह
सदस्य

निगरानी क्रमांक ३५५३-एक/२०१४ - विरुद्ध आदेश दिनांक ०२-०९-२०१४ पारित व्यारा अनुविभागीय अधिकारी ईसागढ़ जिला अशोकनगर - प्रकरण क्रमांक २२८/२०१३-१४ अपील

पप्पू पुत्र फेरन सिंह लोधी

निवासी ग्राम पिपरौदा आलम

तहसील खनियाधाना जिला शिवपुरी
विरुद्ध

---आवेदक

१-अशोक पुत्र महेन्द्रकुमार शर्मा

निवासी ग्राम ईसागढ़ जिला अशोकनगर

२-श्रीमती हल्कीवाई पत्नि पप्पू लोधी

निवासी ग्राम पिपरौदा आलम

तहसील खनियाधाना जिला शिवपुरी

३- म०प्र०शासन

---अनावेदकगण

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस.पी.धाकड़)

(अनावेदक-३ की ओर से पैनल लायर)

(अनावेदक - १ की ओर से अभिभाषक एस.के.श्रीवास्तव)

(अनावेदक-२ सूचना उपरांत अनुपस्थित - एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक २ - १८ - २०१५ को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी ईसागढ़ जिला अशोकनगर व्यारा प्रकरण क्रमांक २२८/२०१३-१४ अपील में पारित आदेश दिनांक २-९-१४ के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, १९५९ की धारा ५० के अंतर्गत प्रस्तुत है।

२/ प्रकरण का सारोंश यह है कि अनावेदकक-१ ने तहसीलदार ईसागढ़ के समक्ष आवेदन देकर बताया कि ग्राम अनघोरा चुखरू स्थित भूमि सर्वे क्रमांक १७ रकबा १३.६२७ हैक्टर के अंशभाग पर आवेदक ने फसल बोकर कब्जा कर लिया है कार्यवाही की जावे। तहसीलदार ईसागढ़ ने प्रकरण क्रमांक १७ अ ६८/१३-१४ पंजीबद्ध किया तथा जांच एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक २६-८-१४ पारित

किया तथा ग्राम अनघोरा चुखरू स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 17 रकबा 13.627 हैक्टर के 1.045 हैक्टर भू-भाग पर फसल बोकर अतिक्रमण करना पाये जाने से संहिता की धारा 248 के अंतर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुये बेदखली के आदेश दिये। इस आदेश के विरुद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी, ईसागढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की एंव संहिता की धारा 52 का आवेदन देकर स्थगन की मांग की। अनुविभागीय अधिकारी, ईसागढ़ ने प्र. क. 228/13-14 अपील पंजीबद्ध किया तथा आदेश दि. 2-9-14 से प्रकरण में प्रारंभिक सुनवाई हेतु 10.9.14 की तिथि नियत की। आवेदक ने इसी अंतरिम आदेश के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की है।

3/ निगरानी मेमो में उठाए गए बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ व्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक क-2 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।


4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि तहसीलदार ईसागढ़ के प्रकरण क्रमांक 17 अ. 68/13-14 में पारित आदेश दिनांक 26-8-14 के विरुद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी ईसागढ़ के समक्ष अपील प्रकरण क्रमांक 228/13-14 प्रस्तुत की थी तथा अपील मेमो के साथ स्थगन आवेदन लगाया था। तहसीलदार ने आदेश दिनांक 26-8-14 से आवेदक पर भारी अर्थदण्ड लगाते हुये सिविल जेल भेजने की कार्यवाही करने का निर्णय लिया था इसलिये सर्वप्रथम स्थगन दिये जाने पर विचार न करने में अनुविभागीय अधिकारी ने त्रृटि की है। अनावेदक क-1 के अभिभाषक ने विरोध कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को उचित बताया।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एंव
✓ अनुविभागीय अधिकारी ईसागढ़ के अपील प्र. क. 229/13-14 के

(ग्र)

अंतरिम आदेश दिनांक 2-9-14 के अवलोकन पर पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी ने इस आदेश व्यारा प्रकरण प्रारंभिक सुनवाई में लगाया है जबकि तहसीलदार ईसागढ़ ने आदेश दिनांक 26-8-14 से आवेदक पर रु. 84,519/- का अर्थदण्ड लगाते हुये बेदखली के आदेश दिये हैं एंव 07 दिवस में अतिक्रमण न हटाने की स्थिति में दैनिक जुर्माना एंव सिविल जेल की दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना अंकित किया है। तदुपरांत तहसीलदार व्यारा दिनांक 18.9.14 से आवेदक को सिविल कारागार भेजने के प्रस्ताव अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत किये। आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी ईसागढ़ के समक्ष उपस्थित होकर वादग्रस्त भूमि पर से अतिक्रमण हटा लेने का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया, जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक के विरुद्ध सिविल जेल भेजने कार्यवाही नहीं की एंव प्रकरण तहसीलदार ईसागढ़ को पुर्णप्रतिवेदन हेतु वापिस कर दिया। आवेदक वादग्रस्त भूमि पर से अतिक्रमण हटा चुका एंव आवेदक की अपील अनुविभागीय अधिकारी ने अंतरिम आदेश दिनांक 2-9-14 से सुनवाई हेतु पंजीबद्ध कर ली है, जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक 2-9-14 के विरुद्ध प्रस्तुत यह निगरानी अस्तित्वहीन हो चुकी है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, ईसागढ़ व्यारा प्रकरण क्रमांक 229/13-14 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 2-9-14 हस्तक्षेप योग्य न पाये जाने से निगरानी इसी-स्तर पर निरस्त की जाती है।


(एमो के० सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर